भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *205

जिसका उत्तर 18 दिसम्बर, 2023/27 अग्रहायण, 1945 (शक) को दिया गया

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई)

*205. श्री जयदेव गल्ला:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की कुल संख्या का राज्य और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रधानमंत्री जन-धन योजना के लिए वर्ष-वार कितना बजटीय आबंटन किया गया है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत राज्य/वर्ष-वार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कितने व्यक्तियों ने बैंक खाते खोले हैं;

(घ) क्या जन-धन खाताधारकों को दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जाता है;

(ङ) यदि हां, तो इस योजना के प्रारंभ से सरकार को प्राप्त हुए बीमा दावों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(च) सरकार द्वारा वर्ष-वार कितने दावों का निपटान किया गया है;

(छ) बीमा दावों के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(ज) अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनके दावों का निपटान कर दिया गया है?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (ज): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

"प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई)" के संबंध में श्री जयदेव गल्ला द्वारा पूछे गए 18 दिसम्बर, 2023 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *205 के भाग (क) से (ज) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ज): प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) का शुभारंभ अगस्त 2014 में किया गया था जिसका उद्देश्य बैंकिंग सुविधा से वंचित प्रत्येक परिवार को सर्वसुलभ बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराना था। इस योजना को "प्रत्येक परिवार" के स्थान पर "बैंकिंग सेवा से वंचित प्रत्येक वयस्क" के खाते खोलने पर ध्यान केंद्रित करते हुए दिनांक 14.08.2018 से आगे बढ़ाया गया था। पीएमजेडीवाई को आरंभ किए जाने से लेकर अब तक लाभार्थियों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या अनुबंध में दी गई है। पीएमजेडीवाई के लिए कोई बजटीय आबंटन नहीं किया गया था और पीएमजेडीवाई के अंतर्गत श्रेणी-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

इसके अलावा, पीएमजेडीवाई के अंतर्गत, खाता धारकों को 2 लाख रुपए के अंतर्निहित दुर्घटना बीमा कवर के साथ रुपे-डेबिट कार्ड प्रदान किया जाता है। बीमा का लाभ उन कार्डधारकों को उपलब्ध होगा जिसने दुर्घटना की तिथि सहित दुर्घटना की तिथि से पहले 90 दिनों के अंदर किसी भी चैनल (एटीएम/माइक्रो एटीएम/ई-कॉमर्स/पीओएस आदि) पर रुपे-डेबिट कार्ड का उपयोग करके कम से कम एक सफल वित्तीय या गैर-वित्तीय लेनदेन किया हो। इस योजना के आरंभ होने से लेकर अब तक निपटान किए गए दावों सहित प्राप्त हुए बीमा दावों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्राप्त दावे	भुगतान किए गए दावे	अस्वीकृत दावे	प्रक्रियाधीन दावे	भुगतान की गई राशि (करोड़ रुपए में)
2014-15	416	237	179	0	2.37
2015-16	915	545	370	0	6.62
2016-17	1356	927	429	0	10.58
2017-18	2071	1580	491	0	16.96
2018-19	3531	2437	1094	0	27.24
2019-20	3261	1859	1402	0	19.01
2020-21	344	171	173	0	2.60
2021-22	374	200	174	0	3.13
2022-23	524	379	10	135	5.44
2023 (दिनांक 07.12.2023 तक)	163	101	6	56	1.46
कुल	**12539**	**8199**	**4149**	**191**	**93.05**

स्रोत: भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम

******

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	6.12.23 की स्थिति के अनुसार	मार्च-23	मार्च-22	मार्च-21	मार्च-20	मार्च-19	मार्च-18	मार्च-17	मार्च-16	मार्च-15
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.61	0.48	0.46	0.47	0.49	0.50	0.54	0.54	0.53	0.48
2	आंध्र प्रदेश	146.83	130.84	117.10	116.71	104.52	97.38	90.39	87.19	73.37	59.73
3	अरुणाचल प्रदेश	4.51	4.08	3.77	3.55	3.38	2.83	2.52	2.06	1.29	0.93
4	असम	231.10	221.55	203.40	186.16	163.56	148.88	127.51	116.35	72.46	43.98
5	बिहार	572.27	546.72	510.15	483.92	439.04	397.19	339.10	286.34	197.03	104.53
6	चंडीगढ़	3.22	3.06	2.82	2.65	2.54	2.44	2.48	2.21	2.18	1.80
7	छत्तीसगढ़	171.50	167.07	159.63	153.37	147.64	140.53	130.56	123.35	97.42	67.10
8	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	2.30	2.23	2.12	2.06	1.85	1.64	1.35	1.07	0.81	0.58
9	दिल्ली	61.23	57.98	53.34	48.16	45.88	43.29	40.52	36.32	30.23	24.60
10	गोवा	2.04	1.92	1.70	1.70	1.68	1.59	1.48	1.41	1.32	1.07
11	गुजरात	182.57	176.71	168.31	160.59	153.21	137.31	119.47	105.32	77.87	57.19
12	हरियाणा	96.31	91.39	84.99	79.05	74.94	70.68	65.02	59.53	51.74	41.65
13	हिमाचल प्रदेश	18.56	17.27	16.03	15.06	13.07	11.68	9.93	9.30	8.78	6.83
14	जम्मू और कश्मीर	27.43	26.38	25.70	24.67	21.45	21.03	19.51	21.55	17.08	14.40
15	झारखंड	182.03	174.08	162.22	154.71	133.97	123.51	112.04	97.62	61.82	32.76
16	कर्नाटक	187.70	177.72	160.19	152.44	148.76	139.22	117.73	106.17	91.80	73.11
17	केरल	61.01	55.31	49.05	47.35	43.09	38.34	35.80	32.34	27.29	18.91
18	लद्दाख	0.22	0.21	0.21	0.21	0.19	-	-	-	-	-
19	लक्षद्वीप	0.10	0.10	0.08	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
20	मध्य प्रदेश	427.92	404.20	372.34	353.97	326.23	306.19	273.18	250.57	186.18	118.52

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	6.12.23 की स्थिति के अनुसार	मार्च-23	मार्च-22	मार्च-21	मार्च-20	मार्च-19	मार्च-18	मार्च-17	मार्च-16	मार्च-15
21	महाराष्ट्र	338.55	324.05	313.91	299.69	270.23	247.76	221.53	189.71	138.24	99.68
22	मणिपुर	10.68	10.62	10.21	10.22	9.65	8.98	7.94	7.15	5.93	4.44
23	मेघालय	7.52	6.70	6.19	5.93	4.78	4.72	4.17	3.94	2.55	1.65
24	मिजोरम	3.74	3.29	3.15	3.21	3.11	2.99	2.68	2.80	1.62	0.80
25	नागालैंड	3.84	3.67	3.45	3.28	3.08	2.63	2.18	2.03	1.59	1.33
26	ओडिशा	208.52	199.85	185.41	173.17	157.36	140.63	124.30	112.28	82.22	52.08
27	पुदुचेरी	2.10	1.89	1.64	1.65	1.59	1.50	1.45	1.25	1.15	0.92
28	पंजाब	88.32	84.52	77.34	73.33	69.50	66.68	60.90	53.40	47.99	38.88
29	राजस्थान	345.82	333.21	313.77	292.81	269.01	249.46	243.24	193.69	168.00	101.03
30	सिक्किम	0.89	0.88	0.86	0.87	0.93	0.93	0.90	0.86	0.75	0.62
31	तमिलनाडु	151.54	137.73	115.95	111.53	107.13	100.25	89.82	86.88	79.87	61.82
32	तेलंगाना	115.18	111.05	104.35	103.79	96.53	95.43	89.90	87.55	79.15	65.33
33	त्रिपुरा	10.08	9.56	8.55	9.11	8.89	8.72	8.29	7.84	7.01	4.51
34	उत्तर प्रदेश	911.49	866.99	792.69	713.35	613.31	548.44	475.62	437.35	321.01	228.72
35	उत्तराखंड	35.16	32.50	29.06	27.29	25.69	24.33	22.01	21.90	18.20	14.15
36	पश्चिम बंगाल	497.93	479.56	445.99	403.97	366.46	338.90	300.26	268.84	188.22	109.52
देश		**5110.86**	**4865.36**	**4506.15**	**4220.06**	**3832.80**	**3526.62**	**3144.39**	**2816.78**	**2142.75**	**1453.68**

स्रोत: बैंक